♦ प्रेस नोट ♦

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 17.04.2026

सोनभद्र पुलिस की बड़ी सफलता: हत्या में वांछित शातिर अभियुक्त अभय पाल गिरफ्तार—सुनियोजित षड्यंत्र में की गई हत्या का खुलासा-

जनपद सोनभद्र में वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक **श्री अनिल कुमार** एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल **श्री राहुल पाण्डेय** के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक घोरावल **श्री बृजेश कुमार सिंह** के कुशल नेतृत्व में थाना घोरावल पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक 17.04.2026 को थाना घोरावल पुलिस टीम द्वारा **गुरेठ मोड़ से ओदार जाने वाली सड़क** पर चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0-250/2025 धारा 3(5), 61(2), 103(1), 324(4) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त ट्रक चालक **अभय पाल पुत्र धनुरधारी पाल निवासी रौप चुर्क, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र (उम्र करीब 35 वर्ष)** को समय करीब **09:28** बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। गिरफ्तारी उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.12.2025 को घोरावल खुटहा बाईपास पर ट्रक संख्या यूपी 70डीटी 7488 द्वारा क्रेटा कार को टक्कर मारने से कार चालक राजेश यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी ग्राम पेढ़, थाना घोरावल की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई दिनेश कुमार यादव द्वारा थाना घोरावल पर मु0अ0सं0 250/2025 धारा 281, 61(2), 324(4), 103(1) बीएनएस के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

प्रथम दृष्टया यह घटना सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही थी, किन्तु विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, भौतिक साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्यों (कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि) के गहन विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई हत्या थी।

विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 05.03.2023 को मंगल पाल पुत्र स्व0 डंगर पाल निवासी ग्राम पेढ़, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र के इकलौते पुत्र अनुराग पाल (उम्र 09 वर्ष) का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना घोरावल पर मु0अ0सं0 42/2023 धारा 364/120B/302/34/201 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसमें **राजेश यादव मुख्य आरोपी** था। उक्त प्रकरण में राजेश यादव जमानत पर रिहा होकर बाहर था। इसी रंजिश के चलते अभियुक्त मंगल पाल द्वारा राजेश यादव की हत्या की योजना बनाई गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त अभय पाल ने बताया कि मंगल पाल उसका बुआ का लड़का है, जिसके पुत्र अनुराग पाल की वर्ष 2023 में राजेश यादव व उसके साथियों द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इसी रंजिश के चलते मंगल पाल ने राजेश यादव की हत्या की योजना बनाई।

योजना के तहत मंगल पाल द्वारा राजगढ़ क्षेत्र से एक पुरानी ट्रक अपने परिचित राजकुमार पुत्र उमाशंकर निवासी गड़बड़ दुबार कला, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर के नाम से 4,30,000/- रुपये में स्टाम्प के माध्यम से विक्रीनामा तैयार कराकर खरीदा और उसे अभियुक्त अभय पाल के घर खड़ा कर दिया। मंगल पाल ने अभय पाल को बताया कि राजेश यादव तहसील घोरावल में वकालत करता है वह अपने घर से प्रतिदिन सुबह तहसील घोरावल जाता है।

योजनानुसार, 08.12.2025 को मंगल पाल ने अभय पाल को खुटहां बाईपास बुलाया। वहाँ मंगल पाल और अशोक मांझी मिले। मंगल पाल, राजेश यादव की लोकेशन देने पेढ़ की तरफ चला गया, जबकि अशोक मांझी और अभय पाल ट्रक के साथ तैयार रहे। जैसे ही राजेश यादव अपनी क्रेटा कार से तहसील की ओर आता दिखा, अभय पाल ने ट्रक से उसे जोरदार टक्कर मार दी और फिर अशोक मांझी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभय पाल पुत्र धनुरधारी पाल निवासी रौप चुर्क, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
2. हे0का0 राज सिंह राणा, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 सर्वजीत यादव, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 रामनारायण यादव, थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।